



पत्रांक: 1607/L-75/25
सेवा में,

दिनांक:- 22-01-2026
अनुस्मारक

महाप्रबंधक (जल)
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण
सेक्टर-5, नोएडा

विषय:- ग्राम-बहलोलपुर, नोएडा से जनित घरेलू जल मल उत्प्रवाह का निस्तारण नाले के माध्यम से
हिंडन नदी में प्रवाहित होने के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्कम में अवगत कराना है कि समाजसेवी/पर्यावरण कार्यकर्ता श्री अभीष्ट कुसुम गुप्ता द्वारा दूरभाष पर अवगत कराया गया कि ग्राम-बहलोलपुर सेक्टर-63, नोएडा से जनित घरेलू जल-मल उत्प्रवाह बिना शुद्धिकृत किये प्राधिकरण के नाले के माध्यम से हिंडन नदी में प्रवाहित किया जा रहा है। तत्कम में कार्यालय के प्राधिकृत द्वारा निरीक्षण दिनांक 22.01.2026 को शिकायती स्थल ग्राम-बहलोलपुर में शमशान घाट के पास गली नं०-18 के पास से प्राधिकरण द्वारा एक पक्का नाला निर्मित किया गया है। नाले में ग्राम बहलोलपुर की छोटी बड़ी नालियों के माध्यम से उत्प्रवाह निस्तारित होता है तथा बिना शुद्धिकृत किये हिंडन नदी में निस्तारित हो रहा है। जो कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं० 1002/2018 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य द्वारा पारित आदेशों का उल्लंघन है।

उक्त के क्रम में पूर्व में भी कार्यालय में श्री अभीष्ट कुसुम गुप्ता द्वारा दूरभाष ग्राम- बहलोलपुर सेक्टर-63, नोएडा में स्थापित नाले की शिकायत की गई थी। जिसके परिपेक्ष्य में कार्यालय के पत्रांक सं० 242/एल.-75/24 दिनांक 18.06.2024 के माध्यम से नाले को तत्काल रोके जाने एवं नोएडा प्राधिकरण टर्मिनल एस०टी०पी० में सम्बद्ध किये जाने हेतु नोएडा प्राधिकरण को पत्र प्रेषित किया गया था।

उपरोक्त के दृष्टिगत आपसे पुनः अनुरोध है कि ग्राम- बहलोलपुर, सेक्टर-63, गली नं०-18 के सामने से प्राधिकरण नाले के माध्यम से हिंडन नदी में निस्तारित घरेलू जल-मल उत्प्रवाह का निस्तारण तत्काल रोके जाने एवं नोएडा प्राधिकरण के टर्मिनल एस०टी०पी० में सम्बद्ध किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन हो सके।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(ऋतेश कुमार तिवारी)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (के.के.), नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-6, नोएडा को सूचनार्थ।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
4. शिकायतकर्ता श्री अभीष्ट कुसुम गुप्ता को सूचनार्थ।

क्षेत्रीय अधिकारी



पत्रांक:- 242/L-75/24

दिनांक:- 10-06-2024

सेवा में,

महाप्रबन्धक (जल),
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
सेक्टर-5, नोएडा

विषय:-ग्राम बहलोलपुर, नोएडा से जनित घरेलू जल-मल उत्प्रवाह का निस्तारण
नाले के माध्यम से हिण्डन नदी में प्रवाहित होने के सम्बन्ध में।


महोदय,

उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्क्रम में अवगत कराना है कि समाजसेवी/पर्यावरण कार्यकर्ता श्री अभीष्ट कुसुम गुप्ता द्वारा दूरभाष पर अवगत कराया गया कि ग्राम बहलोलपुर से जनित घरेलू जल-मल उत्प्रवाह बिना शुद्धिकरण किये प्राधिकरण के नाले के माध्यम से हिण्डन नदी में प्रवाहित किया जा रहा है। तत्क्रम में कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा श्री अभीष्ट कुसुम गुप्ता के साथ उक्त नाले का दिनांक 15.06.2024 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम बहलोलपुर में गली नं0 18 के पास से प्राधिकरण द्वारा 01 पक्का नाला निर्मित किया गया है व उक्त नाले में ग्राम बहलोलपुर की छोटी-बड़ी नालियों के माध्यम से उत्प्रवाह निस्तारित होता है तथा बिना शुद्धिकृत किये हिण्डन नदी में निस्तारित हो रहा है, जो कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 1002/2018 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य द्वारा पारित आदेशों का उल्लंघन है।

उक्त के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि ग्राम बहलोलपुर, गली नं0 18 के सामने से प्राधिकरण के नाले के माध्यम से हिण्डन नदी में निस्तारित घरेलू जल-मल उत्प्रवाह का निस्तारण तत्काल रोके जाने एवं नोएडा प्राधिकरण के टर्मिनल एस0टी0पी0 में सम्बद्ध किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन हो सके।

संलग्नक:-नाले के फोटोग्राफ संलग्न।

भवदीय,



(उत्सव शर्मा)

क्षेत्रीय अधिकारी

e

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (SK), नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।


क्षेत्रीय अधिकारी